ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

25 December 2024

जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित

सन्दर्भ: हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा कराधान पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

बीमा कराधान पर निर्णय:

- बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर करों में कटौती का था। हालांकि, परिषद ने इस निर्णय को स्थगित करने का फैसला किया, क्योंकि इस पर और चर्चा की आवश्यकता थी।
- बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीमा पर मंत्रिसमूह (जीओएम) के प्रमुख सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि समूहों, व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न नीतियों पर कराधान संरचना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जनवरी 2025 में एक और बैठक आयोजित की जाएगी।

बीमा प्रीमियम पर पूर्व की सिफारिशें:

- मंत्री समूह ने पहले कुछ बीमा प्रीमियमों पर कर छूट की सिफारिश की थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव शामिल था।
- वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है।
- हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% जीएसटी जारी रहेगा। जीएसटी परिषद ने कई अन्य कर प्रस्तावों पर भी चर्चा की, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - » वातित पेय पदार्थ, तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर कर की दर 28% से बढ़ाकर 35% करने का सुझाव।
  - » परिधान, जूते और कलाई घड़ियों जैसे सामानों पर उच्च जीएसटी दरें प्रस्तावित की गईं।
  - » कुछ शर्तों के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और साइकिल पर जीएसटी दर कम करने का प्रस्ताव।
- इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय जनवरी 2025 की जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है?

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है जोकि भारत में घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। मूल्य वर्धित कर (वैट) सिद्धांत पर आधारित, जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे व्यवसायों द्वारा एकत्र किया जाता है और सरकार को भेजा जाता है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पहले लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है।

भारत में जीएसटी का इतिहास और विकास:

- जीएसटी की यात्रा 2003 में केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश के साथ शुरू हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव 2006-07 के बजट में रखा गया था, जिसका उद्देश्य कई अप्रत्यक्ष करों को खत्म करना था।
- संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 में पेश किया गया, जिसे 2016 में संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित किया गया और 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी आधिकारिक रूप से लागू किया गया।

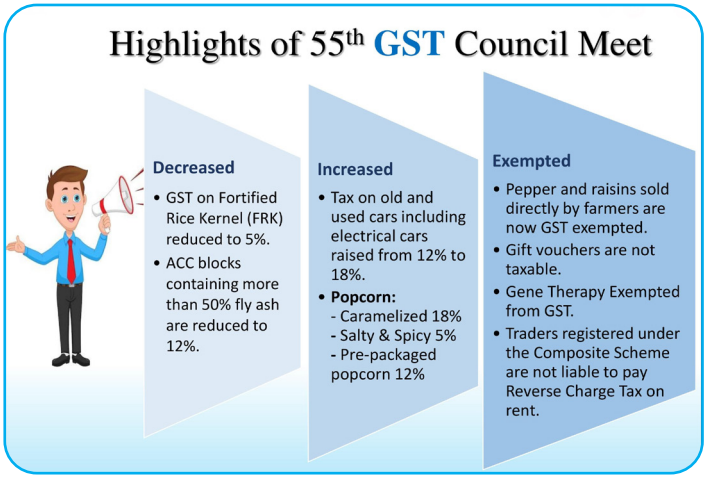

जीएसटी के लिए संवैधानिक ढांचा:

- 101वें संविधान संशोधन द्वारा तीन प्रमुख अनुच्छेद जोड़े गए:
  - » **अनुच्छेद 246ए:** संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
  - » **अनुच्छेद 269ए:** अंतर-राज्यीय व्यापार और राजस्व वितरण से संबंधित है।
  - » **अनुच्छेद 279ए:** राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद बनाने का अधिकार देता है।

जीएसटी के घटक:

- जीएसटी को चार घटकों में विभाजित किया गया है: केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एसजीएसटी), केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)। यह कर इस आधार पर लागू होते हैं कि लेन-देन राज्य के भीतर या अंतर-राज्यीय है, जिसकी दरें केंद्र और राज्यों द्वारा परस्पर तय की जाती हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

25 December 2024

दूरसंचार नियम, 2024

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्रीय सरकार ने दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन (Interception) के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। यह नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419ए का स्थान लेते हैं। नये नियम विशेष प्रवर्तन तथा सुरक्षा एजेंसियों को निर्धारित परिस्थितियों में फोन संदेशों को अवरुद्ध करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

नये नियमों के मुख्य प्रावधान:

- नए नियम केंद्रीय गृह सचिव और राज्य सरकार (गृह विभाग) के सचिव को विशेष परिस्थितियों में संदेशों को रोकने के आदेश जारी करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी 'अपरिहार्य परिस्थितियों' में संदेशों को रोक सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2) के तहत, अगर जरूरी समझा जाए, तो संदेशों को रोकने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें ऐसी स्थितियाँ भी शामिल हैं, जब सक्षम अधिकारी के लिए आदेश जारी करना मुश्किल हो, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में या कामकाजी समस्याओं के कारण।

पूर्व विनियमों से मुख्य अंतर:

- नए नियमों में पूर्ववर्ती प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। एक प्रमुख परिवर्तन यह है कि अब संदेशों के अवरोधन के लिए केवल 'आपातकालीन परिस्थितियों' की आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसा कि पहले था।
- संशोधित नियम अवरोधन आदेश जारी करने में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां सक्षम प्राधिकारी सीधे आदेश जारी करने में असमर्थ होते हैं।
- अब केवल एजेंसी के प्रमुख और राज्य स्तर पर दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार है, जिससे आदेश जारी करने वाले अधिकारियों की संख्या सीमित हो जाती है।
- इसके अतिरिक्त, नए नियमों में यह प्रावधान भी सम्मिलित किया गया है कि इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को अदालत में साक्ष्य के रूप में तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब आदेश की पुष्टि सात दिनों के भीतर की जाए। यदि सक्षम प्राधिकारी उस अवधि के भीतर आदेश की पुष्टि नहीं करता है, तो अवरोधन स्वत: समाप्त हो जाएगा और संबंधित डेटा अनुपयोगी हो जाएगा।

अवधारण अवधि (Retention Period) और जवाबदेही संबंधी चिंताएं:

- नए नियमों के तहत, इंटरसेप्ट किए गए संदेशों के रिकॉर्ड को हर छह महीने में नष्ट किया जाना चाहिए, जब तक कि परिचालन कारणों या अदालती आदेशों के तहत ऐसा करना आवश्यक न हो।
- हालांकि, नियमों ने जवाबदेही को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। इंटरसेप्शन शक्तियों का दुरुपयोग करने वाली एजेंसियों को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है, विशेषकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि से पहले सात दिनों की अवधि के दौरान।

नियमों का ऐतिहासिक संदर्भ और आलोचना:

- नए नियमों के लागू होने से पूर्व, इंटरसेप्शन को नियंत्रित करने वाला प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 का नियम 419। था। 1996 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के अधिकार की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए संदेशों के इंटरसेप्शन के लिए कठोर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता व्यक्त की थी।
- नए नियमों की आलोचना करने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम इंटरसेप्शन के लिए अत्यधिक व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं, विशेषकर 'आपातकालीन मामलों' की शर्त को कमजोर करने के कारण। उनका कहना है कि इससे अधिकृत एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त निगरानी और जांच की व्यवस्था नहीं की गई है।

भारत का पहला बायो–बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के मनसर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH-44) पर भारत के पहले बायो-बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। यह परियोजना सीएसआईआर-सीआरआरआई, एनएचएआई और ओरिएंटल प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित लिग्निन-आधारित बायो-बिटुमेन तकनीक का उपयोग करते हुए टिकाऊ बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास है।

बायो–बिटुमेन से लाभ:

- **पर्यावरणीय लाभ:** बायो-बिटुमेन, जीवाश्म-आधारित विकल्पों की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70% तक कम करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- **आर्थिक लाभ:** चावल के भूसे जैसे कृषि अपशिष्ट का उपयोग करने से जैव-रिफाइनरियों और किसानों के लिए राजस्व उत्पन्न होता है, वही भारत को 4,000-4,500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
- **बुनियादी ढांचे के लाभ:** बायो-बिटुमेन से बनी सड़कें 40% ज्यादा मजबूत होती हैं, जिससे बेहतर स्थायित्व और कम रखरखाव लागत सुनिश्चित होती है। यह तकनीक पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

को भी कम करती है।

- **स्थिरता और आत्मनिर्भरता:** यह पहल आयात पर निर्भरता को कम करके और सतत विकास को बढ़ावा देकर भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

लिग्निन-आधारित बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी के बारे में :

- लिग्निन-आधारित बायो-बिटुमेन पारंपरिक बिटुमेन का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है, जिसमें लिग्निन का उपयोग किया जाता है, जोकि पौधों के बायोमास का एक उप-उत्पाद है, जिसे बाइंडर के रूप में उपयोग किया जाता है।
- यह नवाचार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70% तक कम करता है, बिटुमेन की कमी को दूर करता है, और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करता है। इसके अतिरिक्त, यह कृषि अपशिष्ट के प्रबंधन में मदद करता है, जिससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है।

अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ:

- **रेजुपेव तकनीक:** सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा विकसित यह तकनीक ठंडे और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिजाइन की गई है। सामान्यत: सड़क निर्माण में उच्च तापमान (लगभग 400 डिग्री सेल्सियस) की आवश्यकता होती है, जबकि रेजुपेव तकनीक के माध्यम से इसे 30 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण में कमी के साथ-साथ सड़क की स्थायित्व में सुधार होता है।
- **स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी:** स्टील स्लैग, जोकि स्टील उत्पादन का एक उप-उत्पाद है, को संसाधित करके सड़क निर्माण के लिए एक समुच्चय के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तकनीक सड़क की मजबूती और जल निकासी में सुधार करती है, साथ ही औद्योगिक कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल समाधान भी प्रदान करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बारे में:

- राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH 44) भारत का सबसे लंबा उत्तर-दक्षिण राजमार्ग है, जोकि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4,112 किलोमीटर तक फैला है। यह जम्मू और कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित कई प्रमुख राज्यों को जोड़ता है। इस राजमार्ग में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग और आगरा-बॉम्बे रोड जैसे पूर्व राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड शामिल हैं।
- दिल्ली-पानीपत खंड का एक भाग 2023 में पूरा हुआ, जिससे इसके बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई। NH 44 भारत के सड़क नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जोकि अंतर-राज्यीय और राष्ट्रीय परिवहन दोनों को सुविधाजनक बनाता है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट

सन्दर्भ: हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 (आईएसएफआर 2023) को आधिकारिक तौर पर भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। यह रिपोर्ट देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में प्रस्तुत की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में उपग्रह डेटा और क्षेत्रीय आकलन के आधार पर भारत के वन और वृक्ष संसाधनों का व्यापक विश्लेषण किया गया है।

भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण:

- आईएसएफआर 2023 के अनुसार, भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जोकि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25. 17% है।
- इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन आवरण (21.76%) और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण (3.41%) शामिल हैं। ये क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और कार्बन पृथक्करण प्रयासों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वन एवं वृक्ष आवरण में परिवर्तन (2021-2023)

- रिपोर्ट में सकारात्मक रुझानों को उजागर किया गया है, जिसमें 2021 के मुकाबले वन और वृक्ष आवरण में कुल 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। इसमें से वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वृक्ष आवरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ है। यह दर्शाता है कि वनीकरण और पुनर्वनीकरण के प्रयासों में तेजी आई है, जोकि वन स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक साबित हो रहे हैं।

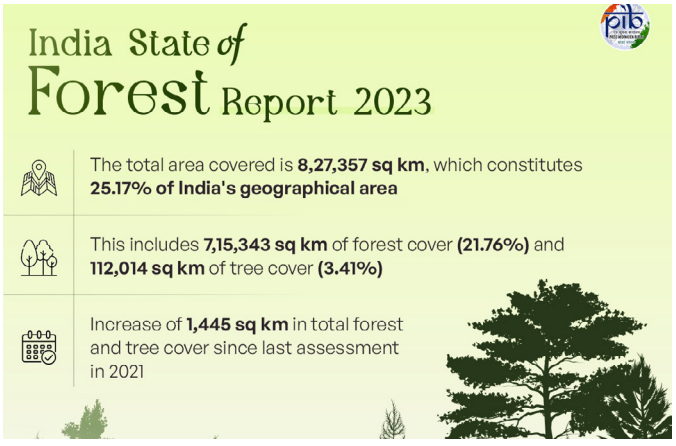

वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि:

- **वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष**

चार राज्य हैं:
- » छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी)
- » उत्तर प्रदेश (559 वर्ग किमी)
- » ओडिशा (559 वर्ग किमी)
- » राजस्थान (394 वर्ग किमी)

- **विशेष रूप से वन क्षेत्र की दृष्टि से अग्रणी राज्य हैं:**
  - » मिजोरम (242 वर्ग किमी)
  - » गुजरात (180 वर्ग किमी)
  - » ओडिशा (152 वर्ग किमी)
- **क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन एवं वृक्ष आवरण:**
  - » सबसे बड़े वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं:
  - » मध्य प्रदेश: 85,724 वर्ग किमी
  - » अरुणाचल प्रदेश: 67,083 वर्ग किमी
  - » महाराष्ट्र: 65,383 वर्ग किमी
- **वन क्षेत्र के लिए शीर्ष तीन राज्य हैं:**
  - » मध्य प्रदेश: 77,073 वर्ग किमी
  - » अरुणाचल प्रदेश: 65,882 वर्ग किमी
  - » छत्तीसगढ़: 55,812 वर्ग किमी

अन्य प्रमुख निष्कर्ष:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक (91.33%) है, इसके बाद मिजोरम (85.34%) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (81.62%) का स्थान है।
- भारत का कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है तथा बांस वाला अनुमानित क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है, जिसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
- कार्बन पृथक्करण से संबंधित एनडीसी लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में, वर्तमान मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत का कार्बन स्टॉक अब 30.43 बिलियन टन CO_2 समतुल्य तक पहुँच गया है। इसका अर्थ है कि 2005 के आधार वर्ष से तुलना करने पर, भारत ने पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल कर लिया है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

भारतीय अंडर-19 टीम ने पहला टी-20 एशिया कप जीता

- भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित पहला अंडर-19 एसीसी महिला टी-20 एशिया कप जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 117 रन बनाए।
- गोंगडी त्रिशा ने 47 गेंदों पर 52 रन बनाए, जो टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। गेंदबाजी में आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट झटके, जबकि सोनम यादव और परुनिका सिसोदिया ने 2-2 विकेट लिए। टूर्नामेंट 15 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसमें महाद्वीप की शीर्ष 6 टीमें भाग ले रही थीं।
- निकी प्रसाद की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपराजेय प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है।

न्यायमूर्ति मदन लोकुर बने यूएन न्याय परिषद के अध्यक्ष

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 12 नवंबर 2028 तक इस पद पर रहेंगे।
- परिषद में उरुग्वे की सुश्री कारमेन आर्टिगास, ऑस्ट्रेलिया की सुश्री रोजली बाल्किन, ऑस्ट्रिया के श्री स्टीफन ब्रेजिना और अमेरिका के श्री जे पॉजेनेल शामिल हैं। न्यायमूर्ति लोकुर ने 30 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति ली थी।
- 2019 में उन्होंने फिजी के सुप्रीम कोर्ट में गैर-निवासी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होकर एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से परिषद को लाभ होगा। यह नियुक्ति भारत की वैश्विक न्याय प्रणाली में प्रभाव को दर्शाती है।

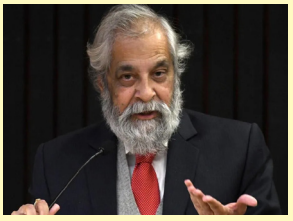

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

25 December 2024

वी. रामसुब्रमण्यन एनएचआरसी के अध्यक्ष बने

- सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। उन्होंने 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभाला और 29 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए।
- यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुई। नई नियुक्तियां मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनके प्रवर्तन को मजबूत करेंगी।

नो-डिटेंशन पॉलिसी खत्म

- दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को समाप्त कर दिया है। नई नीति के अनुसार, यदि कोई छात्र पदोन्नति मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।
- यदि वह इसमें भी असफल रहता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। हालांकि, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यह नीति नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

श्याम बेनेगल का निधन

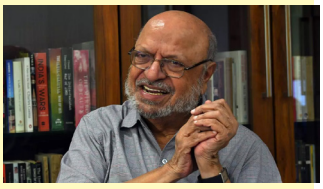

- प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 'मंथन', 'भूमिका', 'जुनून' और 'नेताजी सुभाष चंद्र बोसः द फॉरगॉटन हीरो' जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में बनाई हैं।
- अपने छह दशक के करियर में, उन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म श्री और पद्म भूषण सहित कई सम्मान प्राप्त किए। वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के शिक्षक और अध्यक्ष भी रहे। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

मध्य प्रदेश को वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता

- मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए 'वैश्विक गंतव्यों' में से एक के रूप में चुना गया है। यह सम्मान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करता है। खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों ने इस पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मान्यता मध्य प्रदेश को एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करती है।

भारत 'नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स' में 49वें स्थान पर पहुंचा

- भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (एनआरआई) 2024 में 11 पायदान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स देशों की डिजिटल प्रगति और तकनीकी नवाचारों का आकलन करता है। अमेरिका, सिंगापुर और फिनलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- भारत का स्कोर 53.63 है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार को दर्शाता है। वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत ने नागरिक जुड़ाव और प्रौद्योगिकी के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- यह उपलब्धि भारत के डिजिटल क्रांति के नेतृत्व की ओर बढ़ते कदम को रेखांकित करती है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com